

मध्य प्रदेश मेडिकल कौंसिल, भोपाल

एफ-7 सांची कॉम्प्लेक्स बोर्ड ऑफिस के सामने भोपाल म.प्र. 462016

दूरभाष: 07552767786 ई-मेल: registrarmPMC@gmail.com

क्र. एमपीएमसी/रेसिप्रोकल(अन्य राज्य)/2020/594 भोपाल दिनांक 25/01/2020

//परिपत्र//

विषय:- अन्य राज्य की स्टेट मेडिकल कौंसिल से परमानेंट रजिस्ट्रेशन पश्चात् म.प्र. मेडिकल कौंसिल में रेसिप्रोकल रजिस्ट्रेशन।

संदर्भ: लोक सेवा प्रबंधन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-13/2012/61/लोसेप्र/ पी.एस. जी.-25 दिनांक 24.01.2017 में शामिल सेवा क्रमांक 25.3 के संबंध में निर्देश।

म. प्र. मेडिकल कौंसिल के पूर्व परिपत्र क्र. एमपीएमसी/ रेसिप्रोकल (अन्यराज्य)/2019/ 3828-3852 दिनांक 03.06.2019 को अधिक्रमित करते हुए निम्नानुसार निर्देश जारी किए जाते हैं :-

1. सेवा का उद्देश्य:-

मध्यप्रदेश के अलावा अन्य राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय से एम.बी.बी.एस. करने (मेडिकल कौंसिल ऑफ इंडिया नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त) तथा संबंधित स्टेट मेडिकल कौंसिल से स्थायी रूप से पंजीकृत होने के उपरांत म.प्र. राज्य में चिकित्सा व्यवसाय किये जाने के उद्देश्य से रेसिप्रोकल रजिस्ट्रेशन किया जाना।

2. पदाभिहित अधिकारी एवं समय सीमा :-

रजिस्ट्रार, म. प्र. मेडिकल कौंसिल, भोपाल, 30 कार्य-दिवस

3. आवेदन पत्र एवं प्रारूप :-

आवेदन एम. पी. ऑनलाइन पोर्टल , लोक सेवा केन्द्र अथवा कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन ही किया जायेगा।

4. पात्रता की आवश्यक शर्तें :-

4.1 आवेदक एम.बी.बी.एस. एवं समकक्ष पाठ्यक्रम (मेडिकल कौंसिल ऑफ इंडिया नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त) उत्तीर्ण हो,

4.2 आवेदक संबंधित अन्य स्टेट मेडिकल कौंसिल से स्थायी रूप से पंजीकृत हो,

4.3 संबंधित स्टेट मेडिकल कौंसिल से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया हो, (अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदन दिनांक से तीन माह पूर्व का नहीं होना चाहिए)

5. आवश्यक दस्तावेज :-

5.1 कक्षा 10वीं की अंकसूची (जन्मतिथि के सत्यापन हेतु),

5.2 कक्षा 12वीं की अंकसूची,

5.3 एम.बी.बी.एस. फायनल पार्ट-1 परीक्षा उत्तीर्ण की समस्त अंकसूचियां,

5.4 एम.बी.बी.एस. फायनल पार्ट-2 परीक्षा उत्तीर्ण की समस्त अंकसूचियां,

5.5 ईन्टरनशीप पूर्ण करने का प्रमाण पत्र,

5.6 एम.बी.बी.एस. की डिग्री

5.7 संबंधित स्टेट मेडिकल कौंसिल का परमानेंट रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र,

9

- 5.8 अनापत्ति प्रमाण पत्र
- आवेदक को अपनी स्टेट मेडिकल कौंसिल (जहां से वह पंजीकृत है) से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। (अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदन दिनांक से तीन माह पूर्व का नहीं होना चाहिए)
 - यदि आवेदक मेडिकल कौंसिल आफ इंडिया नई दिल्ली से पंजीकृत है तो ऐसे आवेदक एनओसी के स्थान पर निर्धारित प्रारूप में पचास रुपये के स्टाम्प पर शपथ पत्र (Undertaking) अपलोड करें। (Appendix 'B')
- 5.9 हस्ताक्षरित डिक्लेरेशन, (Appendix 'A')
- 5.10 आवेदक का स्वयं का फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर (दोनों एक साथ) की स्कैन कॉपी। (Appendix 'C')
6. आवेदक को एम. पी. ऑनलाइन पोर्टल से आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जाना होगी—
- आवेदक को अपना आवेदन ऑनलाईन (<https://mpmc.mponline.gov.in/>) प्रस्तुत करना होगा।
 - यूजर प्रोफाइल बनाने हेतु आवेदक <https://mpmc.mponline.gov.in/> में User Profile Creation पर क्लिक कर अपना यूजर प्रोफाइल बनाएं। जिनके द्वारा यूजर प्रोफाइल पूर्व में ही बना ली है उन्हें दुबारा यूजर प्रोफाइल बनाने की आवश्यकता नहीं है। User Profile आवेदक के आधार नंबर के माध्यम से OTP/Biometric से पुष्टि होकर बनेगा।
 - यूजर प्रोफाइल/आवेदन प्रस्तुत करने/डॉक्यूमेंट अपलोड करने/ऑनलाईन भुगतान करने में कोई तकनीकी समस्या के निराकरण हेतु एम0 पी0 ऑनलाईन लिमिटेड के कस्टमर केयर के दूरभाष क्रमांक 0755-6720200 पर सम्पर्क करें अथवा एम. पी. ऑनलाईन की शिकायत लिंक <http://mponline.gov.in/portal/> → Grievances पर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
 - यूजर प्रोफाइल में आवेदक को अपना फोटो एवं हस्ताक्षर एक साथ स्कैन कर निर्धारित फॉर्मेट Appendix 'C' अनुसार अपलोड करना होगा (प्रारूप अनुसार फोटो के स्थान पर फोटो चस्पा कर उसके नीचे दिये गये हस्ताक्षर के स्थान पर हस्ताक्षर कर एक साथ स्कैन करें)। एक बार आवेदन पत्र जमा होने के बाद फोटो एवं हस्ताक्षर में कोई परिवर्तन/संशोधन नहीं होगा। ऐसे आवेदन को निरस्त कर दिया जावेगा।
 - यूजर प्रोफाइल में आवेदक को अपना मोबाइल नम्बर एवं ई-मेल आईडी सही-सही दर्ज करना होगा। यूजर प्रोफाइल में दर्ज मोबाइल नम्बर ही आवेदक का यूजर आईडी रहेगा।
 - आवेदक को रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन पत्र उसके यूजर प्रोफाइल में मिलेगा।
 - आवेदक, आवेदन पत्र में पूर्व से दर्ज विवरण का मिलान कर लें। कोई त्रुटि होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल कौंसिल की ई-मेल आईडी अथवा कार्यालय में सीधे पत्र भेजकर उक्त त्रुटि सुधार हेतु आवेदन प्रस्तुत करें।
 - आधार में पंजीकृत नाम ही आवेदन/सर्टिफिकेट में अंकित होगा। यदि दोनों में कोई असमानता है तो आवेदन प्रस्तुत करने के पूर्व अपने अभिलेख सही करवा लें। आवेदन में अपने नाम की स्पेलिंग उनके द्वारा धारित अंकसूची/प्रमाण पत्र के अनुरूप ही लिखें। आवेदक द्वारा अपना नाम, मोबाइल नम्बर एवं ई-मेल एड्रेस सही-सही भरा जावे। एक बार आवेदन पत्र जमा होने के बाद नाम, मोबाइल नम्बर एवं ईमेल में कोई परिवर्तन/संशोधन नहीं होगा। ऐसे आवेदन को निरस्त कर दिया जावेगा।

- 6.9 आवेदक को अपनी स्टेट मेडिकल कौंसिल (जहां से वह पंजीकृत है) से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। (अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदन दिनांक से तीन माह पूर्व का नहीं होना चाहिए)
- 6.10 आवेदक को आवेदन सॉफ्टवेयर पर ऑनलाईन दर्ज किया जाना एवं कंडिका -5 में बताये अनुसार आवश्यक दस्तावेज को स्कैन कर आवेदन के साथ अपलोड करना होगा।
- 6.11 आवेदक को बिंदु क्रमांक -8 अनुसार पंजीयन शुल्क + विलंब शुल्क (यदि लागू हो) का भुगतान भी ऑनलाईन किया जाना होगा। पंजीयन शुल्क [अप्रतिदेय (non refundable)] है।
- 6.12 यदि आवेदन में कोई कमी पाई जाती है तो संशोधन हेतु आवेदन आवेदक को ऑनलाइन वापस (Sent Back) किया जावेगा। ऐसी स्थिति में आवेदक को उसी दिन अपने लॉगइन पर जाकर आवेदन में संशोधन कर प्रस्तुत करना होगा।
- 6.13 आवेदक को म.प्र. मेडिकल कौंसिल के कार्यालय (एफ-7 सांची कॉम्प्लेक्स बोर्ड ऑफिस के सामने भोपाल म.प्र. 462016) में अपने अभिलेखों के सत्यापन हेतु उपस्थित होने के लिए पोर्टल पर स्लॉट बुक कर दिनांक चयनित करना होगी। चयनित दिनांक पर ही आवेदक उक्त सत्यापित आवेदन पत्र एवं अपने मूल अभिलेखों के साथ सत्यापन हेतु उपस्थित होंगे। शासकीय अवकाश पर स्लॉट बुक न करें।
- 6.14 आवेदन पोर्टल पर प्रस्तुत होने के उपरांत एक यूनिक एप्लीकेशन नम्बर जनरेट होगा। उक्त यूनिक एप्लीकेशन नम्बर से अपने आवेदन की अद्यतन स्थिति ज्ञात कर सकते हैं।
- 6.15 आवेदक को म.प्र. मेडिकल कौंसिल के कार्यालय (एफ-7 सांची कॉम्प्लेक्स बोर्ड ऑफिस के सामने भोपाल म.प्र. 462016) में अपने अभिलेखों के सत्यापन हेतु उपस्थित होने के लिए पोर्टल पर स्लॉट बुक कर दिनांक चयनित करना होगी। चयनित दिनांक पर ही आवेदक उक्त सत्यापित आवेदन पत्र एवं अपने मूल अभिलेखों के साथ सत्यापन हेतु उपस्थित होंगे। शासकीय अवकाश पर स्लॉट बुक न करें।
- 6.16 ऑनलाईन आवेदन जमा होने के साथ ही सॉफ्टवेयर से आवेदन की पावती (Receipt) तैयार होगी। आवेदन की पावती (Receipt) आवेदक के लॉगइन पर उपलब्ध होगी।
- 6.17 आवेदन पोर्टल पर प्रस्तुत होने के उपरांत एक यूनिक एप्लीकेशन नम्बर जनरेट होगा। उक्त यूनिक एप्लीकेशन नम्बर से अपने आवेदन की अद्यतन स्थिति ज्ञात कर सकते हैं।
- 6.18 अभिलेखों के सत्यापन हेतु उपस्थित होते समय रेसीप्रोकल के प्रकरण में उक्त आवेदन पत्र की कलर प्रिंट की प्रति पर आवेदक को अपने आवेदन पत्र पर अंकित फोटो एवं हस्ताक्षर को मध्यप्रदेश मेडिकल कौंसिल भोपाल से पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी से सत्यापित करवाकर प्रस्तुत करना होगा (पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी का नाम, रजिस्ट्रेशन क्रमांक एवं सील सहित)। उसकी एक प्रति आवेदक अपने पास सुरक्षित रखें।
- 6.19 सत्यापन एवं मुहर लगाने हेतु बिना लेमिनेशन के मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अभिलेखों की छायाप्रति स्वयं द्वारा सत्यापित होनी चाहिए। समस्त मूल अभिलेख (इंटरनैशनल अंडरगोइंग सर्टिफिकेट, अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं शपथ पत्र को छोड़कर) आवेदक को वापस कर दिये जावेंगे।
- 6.20 यदि आवेदन में कोई कमी पाई जाती है तो संशोधन हेतु आवेदन आवेदक को ऑनलाइन वापस (Sent Back) किया जावेगा। ऐसी स्थिति में आवेदक को (User Profile में जाकर) आवेदन में संशोधन कर उसी दिन प्रस्तुत करना होगा।
- 6.21 यदि आवेदक चयनित तिथि को अभिलेखों के सत्यापन हेतु उपस्थित नहीं होता है अथवा Sent Back किये गये आवेदन में संशोधन कर उसी दिन प्रस्तुत नहीं करता है तो

ऐसी स्थिति में आवेदक को अभिलेखों के सत्यापन हेतु पुनः स्लॉट बुक करना होगा जिस हेतु पुनः स्लॉट बुकिंग शुल्क रुपये 500/- (पाँच सौ रुपये मात्र) का भुगतान ऑनलाइन किया जाना होगा ।

- 6.22 आवेदन एवं दस्तावेजों के परीक्षण उपरांत यदि आवेदन पंजीयन के लिए पात्र नहीं पाया जाता है तो ऐसे आवेदन को स्पष्ट कारण दर्शाते हुए निरस्त करने का आदेश म. प्र. मेडिकल कौंसिल द्वारा पारित किया जावेगा ।
- 6.23 म. प्र. मेडिकल कौंसिल द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र / आवेदन पत्र अस्वीकृत करने का सूचना पत्र आवेदक के पते पर स्पीड पोस्ट से भेजा जावेगा ।
7. आवेदन प्राप्त होने पर म.प्र. मेडिकल कौंसिल द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी –
- 7.1 आवेदक द्वारा चयनित तिथि को आवेदक के उपस्थित होने की स्थिति में ही आवेदन/अभिलेखों के सत्यापन, आवेदन स्वीकृत एवं अस्वीकृत करने की कार्यवाही म.प्र. मेडिकल कौंसिल द्वारा की जावेगी ।
- 7.2 यदि आवेदन में कोई कमी पाई जाती है तो संशोधन हेतु आवेदन आवेदक को ऑनलाइन वापस (Sent Back) किया जावेगा । ऐसी स्थिति में आवेदक को उसी दिन अपने लॉगइन पर जाकर आवेदन में संशोधन कर प्रस्तुत करना होगा ।
- 7.3 आवेदन में आवेदक का फोटो एवं हस्ताक्षर एक साथ स्कैन कर निर्धारित फॉर्मेट में अपलोड होकर प्राप्त नहीं होता है तो ऐसे आवेदन को निरस्त कर दिया जावेगा ।
- 7.4 आवेदन में अपने नाम की स्पेलिंग उनके द्वारा धारित अंकसूची/प्रमाण पत्र के अनुरूप नहीं पाई जाती है तो ऐसे आवेदन को निरस्त कर दिया जावेगा ।
- 7.5 आवेदन एवं दस्तावेजों के परीक्षण उपरांत आवेदन पंजीयन के लिए पात्र नहीं पाया जाता है तो ऐसे आवेदन को स्पष्ट कारण दर्शाते हुए निरस्त कर आदेश पारित किया जावेगा ।
- 7.6 आवेदन एवं दस्तावेजों के परीक्षण उपरांत आवेदन पंजीयन के लिए पात्र पाए जाने पर आवेदन स्वीकृत कर पंजीयन कमांक जनरेट किया जावेगा ।
- 7.7 म. प्र. मेडिकल कौंसिल द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र / आवेदन पत्र अस्वीकृत करने का सूचना पत्र आवेदक के पते पर स्पीड पोस्ट से भेजा जावेगा ।
8. शुल्क –
- 8.1 रेसिप्रोकल रजिस्ट्रेशन हेतु पंजीयन शुल्क [अप्रतिदेय (non refundable)] रुपये 2500/- (रुपये दो हजार पाँच सौ मात्र) है ।
- 8.2 उपरोक्त के अतिरिक्त आवेदक को एम. पी. ऑन लाइन द्वारा निर्धारित पोर्टल शुल्क का भुगतान करना होगा ।

9

9. अपील –

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 की धारा 6 के अनुसार कोई व्यक्ति जिसका आवेदन नामंजूर कर दिया जाता है अथवा उसे निश्चित समय सीमा में सेवा प्रदान नहीं कराई जाती है, आवेदन नामंजूर होने की तारीख से अथवा निश्चित समय सीमा के अवसान होने से तीस दिन के भीतर प्रथम अपील अधिकारी को निम्नानुसार अपील कर सकेगा :-

सेवा क्र.	सेवा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
25.3	म0 प्र0 के अलावा अन्य राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय से एम.बी. बी.एस. कोर्स एवं रजिस्ट्रेशन पश्चात् म.प्र. मेडिकल कौंसिल में रेसिप्रोकल रजिस्ट्रेशन ।	आयुक्त चिकित्सा शिक्षा म. प्र. एवं पदेन अध्यक्ष म. प्र. मेडिकल कौंसिल	30 कार्य दिवस	प्रमुख सचिव / सचिव चिकित्सा शिक्षा


रजिस्ट्रार

मध्य प्रदेश मेडिकल कौंसिल भोपाल

पृ0 एमपीएमसी/रेसिप्रोकल(अन्यराज्य)/2020/595-605 भोपाल दिनांक 25/01/2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

1. प्र.सचिव, म. प्र. शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, म. प्र. ।
1. आयुक्त चिकित्सा शिक्षा सतपुड़ा भवन भोपाल म. प्र. ।
2. आयुक्त स्वास्थ्य, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं म. प्र. ।
3. कार्यपालन संचालक, राज्य लोक सेवा अभिकरण एवं सुशासन भवन द्वितीय तल, भदभदा रोड़, टी. टी. नगर, भोपाल ।
4. संचालक चिकित्सा शिक्षा म. प्र. ।
5. रजिस्ट्रार, म. प्र. आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर ।
6. अधिष्ठाता, समस्त चिकित्सा महाविद्यालय मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एम पी ऑनलाईन लिमिटेड, ब्लाक-ओ.बी., 14-17, चतुर्थ मंजिल, डी बी सिटी कार्पोरेट पार्क, अरेरा हिल्स, एम. पी. नगर जोन-1 के सामने, भोपाल ।
8. श्री आयुष तिवारी, बिजनेस एनालिसिस्ट, एमपीऑनलाईन भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
9. उप पंजीयक म. प्र. मेडिकल कौंसिल, भोपाल ।
10. समस्त कर्मचारी, स्थानीय कार्यालय म. प्र. ।


रजिस्ट्रार

मध्य प्रदेश मेडिकल कौंसिल भोपाल

DECLARATION

At the time of registration, each applicant shall be given a copy of the following declaration by the Registrar concerned and the applicant shall read and agree to abide by the same:

- a. I solemnly pledge myself to consecrate my life to service of humanity.
- b. Even under threat, I will not use my medical knowledge contrary to the laws of Humanity.
- c. I will maintain the utmost respect for human life from the time of conception.
- d. I will not permit considerations of religion, nationality, race, party politics or social standing to intervene between my duty and my patient.
- e. I will practice my profession with conscience and dignity.
- f. The health of my patient will be my first consideration.
- g. I will respect the secrets which are confined in me.
- h. I will give to my teachers the respect and gratitude which is their due.
- i. I will maintain by all means in my power, the honour and noble traditions of medical profession.
- j. I will treat my colleagues with all respect and dignity.
- k. I shall abide by the code of medical ethics as enunciated in the Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations 2002.

I make these promises solemnly, freely and upon my honour.

Place

Date

Signature:

Name:

Address:

Appendix –B

(यदि आवेदक मेडिकल कौंसिल आफ इंडिया नई दिल्ली से पंजीकृत है तो ऐसे आवेदको द्वारा एनओसी के स्थान पर अपलोड किए जाने वाले शपथ पत्र पत्र (Undertaking) का प्रारूप)

पचास रुपये के स्टाम्प पर

// वचन पत्र //

मैं,
 पुत्र/पुत्री श्री निवासी –
 (स्थायी निवास का पता)
 शपथपूर्वक निम्नलिखित वचन करता/करती हूँ कि :-

1. यह कि मैंने वर्ष में एमबीबीएस फाइनल परीक्षा
 (कॉलेज का नाम) से उत्तीर्ण की है तथा निर्धारित इन्टर्नशिप
 दिनांक को पूर्ण की है ।
2. यह कि मैं, मेडिकल कौंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली से पंजीकृत हूँ जिसका रजिस्ट्रेशन
 क्रमांक दिनांक है । उक्त रजिस्ट्रेशन आज दिनांक तक वैध है तथा मेरे
 विरुद्ध मेडिकल कौंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली में कोई भी विधिक कार्यवाही प्रचलन में
 नहीं है ।
3. यह कि मैं वर्तमान में मेडिकल कौंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के रजिस्ट्रेशन के आधार पर
 M0P0 मेडिकल कौंसिल भोपाल में रेसिप्रोकल रजिस्ट्रेशन कराना चाहता / चाहती हूँ।
4. यह कि एमसीआई द्वारा रजिस्ट्रेशन संबंधी कोई एनओसी जारी नहीं की जाती है । यदि
 मेडिकल कौंसिल आफ इंडिया नई दिल्ली द्वारा मेरा रजिस्ट्रेशन गलत पाया जाता है या मेरे
 विरुद्ध कोई शिकायत सही अथवा प्रचलन में पाई जाती है तो M0 P0 मेडिकल कौंसिल को
 अधिकार होगा कि वह मेरा रजिस्ट्रेशन निरस्त कर देवे ।
5. यह कि उक्त संबंध में यदि भविष्य में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो मैं जवाबदार रहूंगा
 / रहूंगी ।

भोपाल

दिनांक:

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम:

मोबाईल नंबर:

Colour Photo
Signature